

# कार्यालय- नगर पंचायत, बिक्रम (पटना)

बिक्रम नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आम सूचना

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 342 के अनुपालन के लिए नगर पंचायत बिक्रम के बोर्ड के द्वारा प्रयोजनों के लिए कार्यों की दो निम्न कोटियाँ बनाई गई हैं:-

**कोटि A** - होटल (आवासीय), ईट भठठा, धर्म क्राटा, बैंकिंग, दवा दुकान, आरा मशीन, खाद दुकान (कीटनाशक दवा सहित), फर्नीचर दुकान, गैस दुकान, ग्लास हाउस, स्वर्णकार, गल्ता व्यापार (थोक एवं खुदरा किराना दुकान), गन हाउस बर्फ मशीन, प्रेस, लौह-भंडार, लोहे से बनी सामग्री एवं विनिर्माण व्यवसाय, सीमन्ट एवं गिट्टी दुकान, चूना भण्डार, पेट्रोलियम, प्लास्टिक से बने सामग्री का दुकान एवं व्यवसाय, रेडियो एवं रेडियो मरम्मति एवं प्रचार एवं टी0भी0 बिक्री केन्द्र, इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रॉनिक दुकान, चमड़ा का व्यवसाय(चूता चप्पल की दुकान), एसवेस्टस भंडार, टाइल्स, उन भंडार, शक्कर भण्डारण पैक करना, दबाना, तैयार करना, परशुद्धि करना, बर्तन व्यवसाय, वस्त्र भंडार, कलपुर्जा का दुकान, पत्थर का व्यवसाय(मार्बल), जेनरल स्टोर्स, खाद्य निर्माण, मोबाईल एवं मोबाईल मरम्मति, कोयला बिक्री केन्द्र, किताब दुकान, शिक्षण संस्थान, नर्सिंग होम, कबाडी, सिनेमाघर, इत्यादि।

**कोटि B**- रेस्तराँ, भोजनालय, मिठाई दुकान, नोटर वाहन, मोटर साईकिल स्पेयर पार्टस की दुकान स्पेशिंग एवं मरम्मति, बैकरी, रत्न भंडार, मिर्च मशाला पिसाई मशीन, बिजली दुकान, मॉस-मछली का दुकान, आटा-चक्की, घी भंडार, बोरा भंडार, हेयर ड्रेसर (नाई की दुकान), धान कुट्टी मशीन, स्टूडियो, तम्बाकू/खैनी (पान-सिगरेट दुकान), धोबी का कारोबार, कपास रूई का कारोबार, चाय दुकान, गिफ्ट कॉर्नर, सौन्दर्य प्रसाधन, पेंटींग, टेलर्स, चाय दुकान, इत्यादि।

उपर्युक्त कोटियों के गैर आवासीय प्रयोजनों के कार्यों का अनुज्ञप्ति शुल्क-

क्रमांक	प्रयोजन का वर्गीकरण	अनुज्ञप्ति शुल्क	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	कोटि A के लिए	1000.00	500.00
2	कोटि B के लिए	600.00	300.00

उपरोक्त श्रेणी कोटि में आने वाले प्रयोजनों से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति नगर पंचायत बिक्रम के कार्यालय में आवेदन देकर प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर तक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें। उक्त समय तक अनुज्ञप्ति नहीं प्राप्त करने वाले दोषियों के विरुद्ध कानूनी कारवाई किया जाएगा।

नोट - नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत होडिंग हेतु कार्यालय से अनुमति लेकर ही होडिंग लगाये, बिना अनुमति के लगाने वाले व्यक्ति पर कानूनी कारवाई की जाएगी।

आवश्यक सहयोग हेतु जनहित में प्रसारित।

आदेशानुसार  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत बिक्रम।

# नगर पंचायत बिक्रम, पटना

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 347 के तहत निम्न प्रयोजन हेतु

## Trade License

अनुज्ञप्ति

निबंधन संख्या :-

अनुज्ञप्ति का दिनांक :-

1. प्रयोजन :-
2. व्यवसायिक इकाई का नाम :-
3. पता :-
4. अनुज्ञप्ति शुल्क :-

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत बिक्रम

नवीकरण वर्ष

नवीकरण शुल्क

हस्ताक्षर / मोहर